

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण,

भूखण्ड संख्या-1, नॉलेज पार्क-4 ग्रेटर नौएडा सिटी,
जिला गौतम बुद्ध नगर (उ०प्र०)

पत्रांक:- ग्रे.नो./आई.टी/2018/ 3622
दिनांक:- 05/06/2018

कार्यालय आदेश


बी.पी.ओ./कॉल सेन्टर की योजनान्तर्गत पट्टा प्रलेख निष्पादन हेतु जारी चैकलिस्ट के उपरान्त प्रारूप निर्धारण कर अन्तिम करने तक की अवधि में लीजडीड विलम्ब से कराने का विस्तरण शुल्क नहीं लिये जाने का निर्णय मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा पत्रावली ओ.पी.ए संख्या:-82583 पर दिनांक 22.05.2018 को लिया गया है। तत्कम में जिन आवंटनों में पट्टा प्रलेख निष्पादित किये जाने हेतु चैक लिस्ट जारी की जा चुकी है, उनमें दिनांक 25.10.2017 से 10.04.2018 तक की अवधि का लीज डीड निष्पादन विलम्ब से कराने का विलम्ब शुल्क नहीं लिया जायेगा।

(अरविन्द मोहन सिंह)

वरिष्ठ कार्यपालक (आई०टी०)

प्रतिलिपि:-

1. स्टाफ आफीसर को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. विशेष कार्याधिकारी (वी) महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।
3. उपमहाप्रबन्धक (वित्त) को सूचनार्थ प्रेषित।


वरिष्ठ कार्यपालक (आई०टी०) 05/06/18